आयुक्त न्यायालय, तिरहुत प्रमण्डल, मुजफ्फरपुर

विविध (पी०डी०एस०) पुनरीक्षण वाद संख्या –05 / 2023

विरेन्द्र कुमार

बनाम

राज्य सरकार व अन्य

आदेश

अनुसूची 14– फार्म संख्या–563

आदेश की क्रम–संख्या और तारीख	**आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर**	*आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख के साथ*
09.05.2023	यह वाद माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा CWJC No. 8805 / 2022 में दिनांक–02.11.2022 को पारित आदेश के आलोक में समाहर्त्ता, मुजफ्फरपुर की अध्यक्षता में जिला स्तरीय चयन समिति की बैठक में दिनांक 11.03.2022 को लिये गये निर्णय से असंतुष्ट होकर दायर किया गया है। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 02.11.2022 को पारित आदेश का अंश निम्न प्रकार है :– **"Should the petitioner file such a representation before the concerned Divisional Commissioner within a period of 30 days, he shall look into the matter and after hearing all the stakeholders, including respondent no. 6, shall pass a final order within a further period of 90 days, giving reasons in support of the decision taken by him."** आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का कहना है किः– (i) आवेदक (श्री विरेन्द्र कुमार) द्वारा जन वितरण प्रणाली दुकान हेतु दिनांक 15.01.2018 को आवेदन समर्पित किया गया।	

WEB COPY NOT OFFICIAL

(ii) अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा प्रकाशित औपबंधिक मेधा सूची में आवेदक (श्री विरेन्द्र कुमार) को अनुज्ञप्ति हेतु अनुशंसित किया गया था।

(iii) दिनांक 09.03.2019 को दावा/आपत्ती पर विचारोपरांत जिलाधिकारी द्वारा प्रकाशित सूची में आवेदक के आवेदन में कोई त्रुटि नहीं पाई गयी।

(iv) जिला स्तरीय चयन समिति द्वारा आवेदक का चयन न करते हुए विपक्षी सं0–02 (श्री विमलेश कुमार) का चयन कर लिया गया। उक्त के विरूद्ध आवेदक द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, पटना में CWJC No. 3093/2022 दायर किया गया। जिसमें दिनांक 27.02.2022 को पारित आदेश के आलोक में जिला पदाधिकारी के समक्ष आवेदन समर्पित किया गया परंतु जिला पदाधिकारी द्वारा आवेदक को अनुज्ञप्ति प्रदान नहीं किया गया।

(v) जिला स्तरीय चयन समिति द्वारा जो आवेदन की मांग की गयी थी उसमें कहीं उल्लेख नहीं है कि आवेदन–पत्र में वर्णित सभी कॉलमों को भरना अनिवार्य है एवं आवेदन–पत्र अपूर्ण भरे रहने पर आवेदन की उम्मीदवारी रद्द कर दी जायेगी।

(vi) दिनांक 06.12.2019 को जिलाधिकारी को विहित आवेदन–पत्र के क्रम सं0–1 (च) में भूलवश खाली रह जाने के संबंध में आवेदन दिया गया था। साथ ही कम्प्यूटर ज्ञान संबंधित प्रमाण–पत्र संलग्न कर दिया गया था।

(vii)विपक्षी सं0–02 श्री विमलेश कुमार की आयु आवेदक से कम होने और अनुज्ञप्ति हेतु अनुशंसित नहीं होने के बावजूद

WEB COPY NOT OFFICIAL

अनुज्ञप्ति निर्गत कर दिया गया जो न्यायसंगत नहीं है।

विपक्षी सं0–02 के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि आवेदक द्वारा अपने आवेदन में कम्प्यूटर ज्ञान के संबंध में दावा नहीं नहीं किया गया था। आवेदक (विरेन्द्र कुमार) द्वारा आवेदन के साथ कम्प्यूटर ज्ञान से संबंधित प्रमाण–पत्र संलग्न नहीं किया गया था, जो अनुज्ञप्ति हेतु आवश्यक है, जिस कारण आवेदक का अनुज्ञप्ति हेतु चयन नहीं किया गया।

वहीं विद्वान विशेष लोक अभियोजक का कहना है कि आवेदक द्वारा अपने मूल आवेदन मे कम्प्यूटर ज्ञान का दावा नहीं किया गया था। विपक्षी सं0–02 (श्री बिमलेश कुमार) द्वारा कम्प्यूटर ज्ञान का दावा किया गया था और प्रमाण–पत्र भी संलग्न किया गया था। इसलिए विपक्षी सं0–02 (श्री बिमलेश कुमार) का चयन किया गया जो नियमानुकूल एवं सही है।

उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को सुनने, निम्न न्यायालय के अभिलेख एवं वाद अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि यह वाद मुजफ्फरपुर जिलांतर्गत पंचायत–बेलाही लच्छी, आरक्षण कोटि–पिछड़ा वर्ग के लिए जन वितरण प्रणाली के दुकान की अनुज्ञप्ति निर्गत करने से संबंधित है। आवेदक (श्री विरेन्द्र कुमार) द्वारा अनुज्ञप्ति हेतु समर्पित मूल आवेदन में कम्प्यूटर ज्ञान से संबंधित कंडिका 1(च) में कोई सूचना अंकित नहीं की गयी थी। विपक्षी सं0–02 (श्री बिमलेश कुमार) द्वारा अपने आवेदन में कम्प्यूटर ज्ञान से संबंधित कंडिका 1(च) में 'ADCA' अंकित किया गया। जिला स्तरीय चयन समिति द्वारा आवेदक (श्री विरेन्द्र कुमार) द्वारा अपने मूल आवेदन में कम्प्यूटर ज्ञान का दावा नहीं करने के कारण उनका चयन नहीं किया गया एवं विपक्षी सं0–02 (श्री बिमलेश कुमार) का चयन किया गया।

परंतु प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन

WEB COPY NOT OFFICIAL

एवं अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा प्रकाशित औपबंधिक मेधा सूची के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि पुनरीक्षणकर्ता द्वारा अपने आवेदन के साथ कम्प्यूटर ज्ञान से संबंधित प्रमाण–पत्र संलग्न किया गया था। अनमंडल पदाधिकारी द्वारा प्रकाशित औपबंधिक मेधा सूची में पुनरीक्षणकर्ता के आवेदन के संबंध में कोई त्रुटि अंकित नहीं करते हुए अनुशंसित किया जाना और जिला स्तरीय चयन समिति द्वारा पुनरीक्षणकर्ता को अनुज्ञप्ति हेतु योग्य नहीं पाया जाना विरोधाभाषी है। किस परिस्थिति में जिला स्तरीय चयन समिति द्वारा विपक्षी सं०–02 (श्री बिमलेश कुमार) का चयन किया गया, स्पष्ट नहीं है। इस प्रकार जिला स्तरीय चयन समिति का निर्णय त्रुटिपूर्ण हो जाता है।

उपर्युक्त तथ्यों के आलोक में जिला स्तरीय चयन समिति द्वारा लिया गया निर्णय त्रुटिपूर्ण पाते हुए विखंडित किया जाता है एवं प्रस्तुत वाद को जिला स्तरीय चयन समिति को इस निदेश के साथ वापस किया जाता है कि प्रश्नगत मामले में उभय पक्षों के दावों पर विचार करते हुए एवं सभी संबंधितो को सुनवाई का समूचित अवसर प्रदान करते हुए वाद के गुण–दोष पर विचारोपरांत यथाशीघ्र नियमानुकूल निर्णय/मुखर आदेश पारित करे।

आई0टी0 सहायक को आदेश दिया जाता है कि आदेश प्राप्ति के 24 घंटे के अन्दर इस आदेश को आयुक्त कार्यालय के बेवसाईट पर अपलोड करना सुनिश्चित करे। इस आदेश की प्रति सभी संबंधितों को दी जाय एवं निम्न न्यायालय का अभिलेख वापस करें।

लेखापित एवं संशोधित

आयुक्त **आयुक्त।**

WEB COPY NOT OFFICIAL